न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना R.A.S

प्रकरण संख्या 79/2021 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1 पार्वती पुत्री सोहनलाल ब्राहमण उम्र–वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
2 राधा पत्नि सोहनलाल ब्राहमण उम्र–वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
3 लीला पुत्री सोहनलाल ब्राहमण उम्र–वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
4 शंकरलाल पिता सोहनलाल ब्राहमण उम्र–वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
5 सत्यनारायण पिता सोहनलाल ब्राहमण उम्र–वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

..... **प्रार्थीगण**

बनाम

1 केदार पिता रतनलाल ब्राहमण उम्र–वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
2 लाडदेवी पत्नि गोपाल कुमावत उम्र–वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
3 विद्याधर पिता रतनलाल ब्राहमण उम्र–वयस्क निवासी सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
4 भूमिधार, तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)
5 शाखा प्रबन्धक, बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बेंक शाखा सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा

..... **अप्रार्थीगण**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::– श्री विष्णुदत्त शर्मा–––––वकील प्रार्थीगण
श्री शिवराज शर्मा––––अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 से 03
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां उपस्थित

निर्णय

दिनांक 02.06.2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 28.07.2021 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा सांगरिया पटवार मण्डल क्षेत्र सांगरिया तहसील फुलियाकलां स्थित खतौनी संख्या 856 के आराजी संख्या 3639 प्रार्थीगण के पक्ष में संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है, एवं प्रार्थीगण स्वयं की सहखातेदारी भूमि में आवागमन का कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से पडौसीयों से मिन्नत करके अपने खसरे तक पहुंचना पडता है। प्रार्थीगण वर्षो से अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की खातेदारी भूमि में से होकर आते जाते रहे है, परन्तु अब अप्रार्थीगण द्वारा रूकावट/बाधा उत्पन्न किये जाने से प्रार्थीगण ने विपक्षी संख्या 01 से 03 की आराजी संख्या 3638 की मेड के सहारे–सहारे 20 फिट नवीन रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। –––

उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकलां (भीलवाड़ा) राज.

---अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की सहखातेदारी खसरे में पहुंच हेतु अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के हक स्वामित्व की आराजी संख्या 3638 भूमि की मेड के सहारे–सहारे 20 फिट नवीन रास्ता कायम किया जावें।

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 28.07.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस, दलील प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से अधिवक्ता श्री शिवराज शर्मा द्वारा अधिकार पत्र व जवाब प्रार्थनापत्र पैश किया गया जिसे रिकार्ड पर लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी क्रम 01 से 03 की ओर से जरिये अधिवक्ता खण्डन/प्रतिरोध स्वरूप प्रस्तुत किये गये जवाब में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खसरा संख्या 3639 से सटी हुई आराजी संख्या 3635 भी पूर्व में प्रार्थीगण के हक स्वामित्व में थी, प्रार्थीगण के कथनानुसार जिसका बैचान प्रार्थीगण ने कर दिया है। किन्तु यह भी सत्य है कि अपनी खातेदारी में आवागमन हेतु इस खसरे 3635 का ही उपयोग प्रार्थीगण द्वारा शुरूवात से ही किया जा रहा है। प्रार्थनापत्र के माध्यम से बताये गये रास्ते से प्रार्थीगण की कभी आवाज़ाही नही रही है। प्रार्थीगण का वर्षो से आवागमन का कथन असत्य है। प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक मार्ग के रूप में खसरा संख्या 3635 होते हुए भी जवाबदाता की भूमि कब्जा करने की नियत से 20 फीट नवीन रास्ता कायमी का यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है, जो न्यायोचित नही है। यदि प्रार्थीगण को चाहे गये रास्ते अनुसार भूमि दे दी जाती है, तो अप्रार्थीगण को इससे भारी क्षति होगी, साथ ही इससे अप्रार्थीगण का कृषि कार्य भी प्रभावित होगा। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण सव्यय खारीज फरमाया जावें।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार फुलियाकलां को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावें, जिसके अनुपालन में तहसीलदार फुलियाकलां ने अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट हल्का पटवारी, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबन्दी आदि पत्रादि प्रस्तुत की।

प्रकरण में तहसीलदार फुलियाकलां से प्राप्त नवीन रास्ता कायमी बाबत मौका रिपोर्ट में मौजा सांगरिया स्थित अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की संयुक्त खातेदारी आराजी संख्या 3638 रकबा 0.35 में से 0.0451 हैक्टयर (74 मीटर गुणा 6.096 मीटर/451 वर्गमीटर) भूमि प्रस्तावित हुई है।

उभयपक्षों के नियुक्त विद्वान अभिभाषकों ने बहस में अपने अपने अभिवचनों/तर्को से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र/जवाब को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन उपरान्त एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित रास्ता मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि–

1. रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता :– प्रार्थीगण के पास अपनी सहखातेदारी भूमि पर पहुंच हेतु कोई स्थाई मार्ग मौके पर मौजूद नही है एवं न ही अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग मौजूद है।
2. रिपोर्ट तहसीलदार में भी यह तथ्य प्रमाणित है कि प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण के निर्बाध आवागमन के लिए सबसे निकटतम व सुगमतम रास्ता है।

प्रकरण में तहसीलदार फुलियाकलां से प्राप्त नवीन रास्ता कायमी बाबत मौका रिपोर्ट में यह तथ्य प्रमाणित है कि मौजा फूलियाकलां स्थित अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की सयुक्त खातेदारी आराजी संख्या 3638 रकबा 0.35 में से 0.0451 हैक्टे. (74 मीटर गुणा 6.096 मीटर/451 वर्गमीटर) भूमि नवीन रास्ता कायमी हेतु प्रस्तावित हुई है। इस पर अप्रार्थीगण को इससे भारी क्षति होने की दलील दी गई है।

उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकलां (भीलवाड़ा) राज.

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) कानून मुताबिक प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें व रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। तहसीलदार फुलियाकलां से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थीगण को केवल 6 मीटर चौडाई का नवीन मार्ग उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पेश हुए है। फिर भी अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा/क्षति हो इस दृष्टिकोण से 6 मीटर के स्थान पर 3.5 मीटर नवीन रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायालय पर्याप्त एवं आवश्यक मानता है। दूसरी ओर अप्रार्थीगण ने प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र में खण्डन स्वरूप ऐसा कोई तर्क प्रस्तुत नही किया है, जिससे न्यायालय यह विचार करें कि नवीन रास्ता कायमी से अप्रार्थीगणों को बेहद भारी क्षति होगी।

प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये 20 फिट चौडे रास्ते के मुकाबले अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा/क्षति हो तथा कम से कम कृषि भूमि प्रभावित हो इस पर मनन करने के पश्चात मौजा सांगरिया स्थित अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की संयुक्त खातेदारी आराजी संख्या 3638 रकबा 0.35 में से 0.0259 हैक्टे. (74 मीटर गुणा 3.5 मीटर/259 वर्गमीटर) नवीन रास्ता कायमी का यह प्रकरण न्यायालय उचित मानता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम सांगरिया पटवार मण्डल सांगरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा स्थित अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की संयुक्त खातेदारी आराजी संख्या 3638 रकबा 0.35 में से 0.0259 हैक्टे. (74 मीटर गुणा 3.5 मीटर/259 वर्गमीटर) भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा (सार्वजनिक उपयोग हेतु) नवीन मार्ग कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड में अमल–दरामद किया जावें।

यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण (आराजी संख्या 3638 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में तहसील फुलियाकलां में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर अनुसार रकबा 0.0259 हैक्टेयर मालियत राशि की तीन गुना राशि कुल 16,327/–रूपये (0.0259 हैक्टयर की) राज्य कोष/अप्रार्थीगण को अदायगी कर दी जावेगी/जमा करा दी जावेगी।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 08.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला

उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकलां (भीलवाड़ा) राज.